धारा-118. कतिपय त्रुटियों के कारण सहकारी समिति के कार्य अमान्य नही किये जायेगे- किसी सहकारी समिति या किसी प्रबन्ध कमेटी या किसी सहकारी समिति के अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अमान्य नही समझा जायेगा कि समिति या कमेटी के संगठन में,या किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गयी है, या इस आधार पर कि उक्त अधिकारी ऐसी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए अनर्हित था।